रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

1.8.85

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 1985/फाल्गुन 7, 1906
No. 98] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 1985/PHALGUNA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1985

का. आ. 165(अ) :—पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 6 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है अर्थात :—

1. इस आदेश को पूंजी निर्गम (छूट) संशोधन आदेश, 1985 कहा जा सकेगा ।

2. पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 में—

(क) खण्ड 3 के परन्तुक में "Fifty Lakhs of rupees" (पचास लाख रुपए) शब्दों के स्थान पर "One crore of rupees" (एक करोड़ रुपए) शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खण्ड 4 में, जहां कहीं पर भी "Fifty Lakhs of rupees" (पचास लाख रुपए) शब्द आए हैं, वहां उनके स्थान पर "One crore of rupees" (एक करोड़ रुपए) शब्द रख दिए जाएंगे ; तथा

(ग) खण्ड 5 में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में "Fifty Lakhs of rupees" (पचास लाख रुपए) शब्दों के स्थान पर "One crore of rupees" (एक करोड़ रुपए) शब्द रख दिए जाएंगे ।

[सं. एस. 10(1)-सी सी आई (2)/84]

डी. आर. मेहता, पूंजी निर्गम नियंत्रक तथा संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Office of the Controller of Capital Issues

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 1985

S.O. 165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Capital Issues (Exemption) Order, 1969, namely :—

1. This Order may be called the Capital Issues (Exemption) Amendment Order, 1985.

2. In the Capital Issues (Exemption) Order, 1969—

(a) in the proviso to clause 3, for the words "fifty lakhs of rupees" the words "one crore of rupees" shall be substituted;

(b) in clause 4, for the words "fifty lakhs of rupees" wherever they occur, the words "one crore of rupees" shall be substituted; and

(c) in clause 5, in the opening paragraph for the words "fifty lakhs of rupees" the words "one crore of rupees" shall be substituted.

[No. S. 10(1)-CCI(II)|84]

D. R. MEHTA,
Controller of Capital Issues and Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985